भारतीय झंडा संहिता, 2002 की मुख्य विशेषताएं

1. भारत का राष्ट्रीय झंडा भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और राष्ट्रीय ध्वज के लिए सभी के मन में प्रेम, सम्मान और निष्ठा है। यह भारत के लोगों की भावनाओं और मानस पटल में एक अद्वितीय और विशेष स्थान रखता है।

2. भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराना/उपयोग/प्रदर्शन राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय झंडा संहिता, 2002 द्वारा नियंत्रित होता है। जनता की जानकारी के लिए भारतीय झंडा संहिता, 2002 की कुछ मुख्य विशेषताएं नीचे सूचीबद्ध हैं:-

क) भारतीय झंडा संहिता, 2002 को दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया था और पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय झंडे अथवा मशीन से बने झंडे को अनुमति दी गई है। अब, राष्ट्रीय झंडा हाथ से कता हुआ और हाथ से बनाए गए या **मशीन से बनाए गए सूती/पॉलिएस्टर**/ऊनी/ रेशम खादी कपड़े से बना होगा।

ख) सार्वजनिक, निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान का कोई सदस्य राष्ट्रीय झंडे की गरिमा और सम्मान के अनुरूप सभी दिनों और अवसरों पर, औपचारिक या अन्यथा, राष्ट्रीय झंडे को फहरा/प्रदर्शित कर सकता है।

ग) भारतीय झंडा संहिता, 2002 को दिनांक 19 जुलाई, 2022 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया था और भारतीय झंडा संहिता के भाग-II के अनुच्छेद 2.2 के खंड (xi) को निम्नलिखित खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था: -

> **(xi) "जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या जन प्रतिनिधि के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, उसे दिन-रात फहराया जा सकता है;"**

घ) राष्ट्रीय झंडा आकार में आयताकार होगा। झंडा किसी भी आकार का हो सकता है लेकिन झंडे की लंबाई और ऊंचाई (चौड़ाई) का अनुपात 3:2 होगा।

ड.) जब भी राष्ट्रीय झंडे को प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे सम्मान की स्थिति में होना चाहिए और स्पष्ट रूप से रखा जाना चाहिए।

च) क्षतिग्रस्त या गंदा झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

छ) झंडा एक ही मैस्टहेड से एक साथ किसी अन्य झंडे या झंडों के साथ नहीं फहराया जाना चाहिए।

ज) झंडा संहिता के भाग III की धारा IX में बताए अनुसार गणमान्य व्यक्तियों, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, राज्यपाल आदि को छोड़कर किसी भी वाहन पर झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए।

झ) कोई भी अन्य झंडा या बंटिंग राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या राष्ट्रीय झंडे के ऊपर या झंडे के साथ-साथ नहीं होनी चाहिए।

नोट:- अधिक जानकारी के लिए, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय झंडा संहिता, 2002 गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।